Intimation Letter and Recognition Letter issued by State Govt.

Scanned by TapScanner

Phone: 011-22520242 (Technical Query)
Phone: 011- 22528257 (General Queries Reg. Affl.)
Fax: 011-22540655

E-Mail: cbse.aff@nic.in
Website: www.cbse.nic.in
Affiliation Website: www.cbseaff.nic.in

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development Govt. of India)

"SHIKSHA KENDRA", 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI – 110 301

REGD./SPEED POST

Circular No. 10

No. CBSE/AFF./Circular/2013/10/581277 Dated: 08.07.2013

To,

All the Principals of the schools affiliated to the CBSE

Sub:- Amendment in affiliation Bye-laws Rule 3.3(I) chapter II-reg.

Sir/Madam,

Consequent upon recommendations of the Affiliation Committee made in its meeting held on 24.06.2013 and subsequently approval of the Governing Body of the Board in its meeting held on 28.06.2013, the following amendment in affiliation Bye-laws of the Board has been made by the Board:

Existing Rule 3.3 (I) chapter II	Amended Rule 3.3 (I) chapter II
The school seeking provisional affiliation with the Board must have formal prior recognition of the State/U.T. Govt. Its application either should be forwarded by the State Govt. or there should be a No Objection Certificate to the effect that State Government has no objection to the affiliation of *the school with the CBSE.* "No Objection Certificate" once issued to any school will be considered at par even if it s prescribes a specific period of *stage unless it is withdrawn. Condition of submitting a No Objection Certificate will not be applicable to categories 3.1(i) to (iv)	The school seeking provisional affiliation with the Board must have formal prior recognition of the State/U.T Govt. and also to produce evidence to this effect that the applicant school had intimated to the concerned Education Department of the State about the application made to CBSE for seeking affiliation with the Board. In case, the Board receives any objection during the process of application of the school, the Board may ask the concerned school to produce the No Objection Certificate from the State Government or otherwise it would be assumed that concerned State/U.T. Government has No objection.

The above amendment is brought to the notice of all concerned.

Yours faithfully,

(U C BODH)
DEPUTY SECRETARY (AFFL)
09/07

Copy for information to the following:

1. The Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, 18- Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi 110016.
2. The Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti, B-15, Institutional Area,Sector-62,NOIDA-201307,District Gautam Budh Nagar,(Uttar Pradesh).
3. The Director of Education, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi-110054

Scanned by TapScanner

Rockland International School

Educating for Excellence

Meerut Kila Road, Opp. Dusshera Ground, Parikshitgarh, Meerut, Uttar Pradesh-250406
Contact No.: +91-8534922233, 8534966655
E-mail: rockland.int@gmail.com | Website: www.rocklandinternationalschool.com

Ref. No. CBSE/AFFI/02/2016-17

Date 27/06/2016

सेवा में
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद मेरठ

विषय– विद्यालय की सेकेन्ड्री स्तर की सम्बद्धता हेतू केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली को किये गये आवेदन की सूचना का प्रेषण।

महोदय

उपर्युक्त विषयक निवेदन यह है कि उक्त विद्यालय अपके कार्यालय से कक्षा नर्सरी से आठ तक (अंग्रेजी माध्यम) मान्यता प्राप्त है। जिसका मान्यता पत्रांक– प्रबंध/मान्यता/15767–71/2015–16 दिनांक 21/03/2016 एवम मान्यता कोड संख्या 136 है। विद्यालय की प्रबन्ध समिति ने विद्यालय की सेकेन्ड्री स्तर की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से कराने का निर्णय लिया है। जिसके लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आवेदन कर दिया गया है। जिसका रजि० न० SL-01747-1718 है। विद्यालय की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से सम्बद्धता होते ही विद्यालय परिसर में उक्त बोर्ड के पाठ्य क्रम के कक्षाए संचालित कर दी जायेगी एवम् राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त मान्यता की कक्षाए बन्द कर दी जाएगी। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली के निर्देशानुसार उक्त सूचना आपकी सेवा में अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। कृपया प्राप्त करने का कष्ट करें।

संलग्नक– 1 सीबीएसई दिल्ली को किये गये आवेदन की छायाप्रति।
2 मान्यता पत्र की छायाप्रति।

भवदीय

प्राप्त 27/06/16

राजकुमार
Manager

R. Singh 27/6/16
Principal

प्रतिलिपि– 1 जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित

27-6-16
डिप्टीयर
जिला विद्यालय निरीक्षक
मेरठ

राजकुमार

R. Singh 27/6/16

Scanned by TapScanner

कल्याण नगर, मेरठ
ई–मेल meerut.bsa@gmail.com
फोन नम्बर 0121–2703911
फैक्स नम्बर 0121–2703911

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक–प्रबन्ध/मान्यता/ 15767-71 /2015–16 दिनांकः– 21/03/16

प्रबन्धक

रॉकलैण्ड इन्टर नैशनल बहलोलपुर,

विकास क्षेत्र परीक्षितगढ़, मेरठ।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मै रॉकलैण्ड इन्टर नैशनल बहलोलपुर, विकास क्षेत्र परीक्षितगढ़, (मेरठ) को शैक्षिक सत्र 2016–17 से शैक्षिक सत्र 2018–19 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिये अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनिमय 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार–नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिगं प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–

I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

II. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

Scanned by TapScanner

VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेगें।

VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।

VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :–

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :–
- कुल निर्मित क्षेत्र :–
- कीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल :–
- कक्षाओं की संख्या :– 10
- प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–मंडागार के लिए कक्ष :– है
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय :– है
- पेयजल सुविधा :– है
- मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई :– है
- बाधारहित पहुंच :– है
- अध्यापन पाठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता :– है

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर– मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 – (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जायेगा।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए, और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 136 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेंगे जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर

Scanned by TapScanner

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

17. उपरोक्त के अतिरिक्त कालान्तर में मान्यता शर्तों के उल्लंघन का कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो प्रदत्त मान्यता निरस्त समझी जायेगी तथा विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धक का होगा।

भवदीय

(मौ0 इकबाल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

पृ0सं0 / प्रबन्ध / मान्यता / 15767-71 / 2015-16 दिनांकः-तदैव।

प्रतिलिपिः- निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) निशात गंज, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक) शिक्षा सामान्य अनुभाग-2, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद मेरठ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

Scanned by TapScanner